

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
३० प्र०.लखनऊ।

## पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, १७ मार्च 2021

**विषय-** जनपद-लखीमपुर खीरी के उत्तरी खीरी वन प्रभाग में सिसैया धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के किमी0 83.00 से किमी0 109.40 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 26.40 किमी0 तथा 0.2760 हे0 संरक्षित वन भूमि HDD Method से भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1979/11-सी/एफपी/ यूपी/अदर्स/69876/2020,  
दिनांक 11-2-2021 का क्रूपया संटर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी 11-9/98-एफसी, दिनांक 09-7-2015 एवं दिनांक 27-7-2020 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद-लखीमपुर खीरी के उत्तरी खीरी वन प्रभाग में सिसैया धौरहरा-निघासन-पलिया-धनोराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं-101) के किमी0 83.00 से किमी0 109.40 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 26.40 किमी0 तथा 0.2760 हे0 संरक्षित वन भूमि HDD Method से भूमिगत आप्टिकल फाइबल केबिल बिछाने की अनुमति विषयक प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-


(1)	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
(2)	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3)	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रैच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
(4)	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रैच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5)	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(6)	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
(7)	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
(8)	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।
(9)	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
(10)	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
(11)	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
(12)	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
(13)	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
(14)	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(15)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
(16)	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
(17)	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(18) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3- प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के ३०एफ०सी० बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

भवदीय,

  
 (आशीष तिवारी)  
 विशेष सचिव।

### मुख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- मुख्य वन संरक्षक एवं डायरेक्टर, दुधवा टाईगर रिजर्व लखीमपुर खीरी।
- (3)- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- (4)- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- (5)- प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग /उप निदेशक, बफर जौन, दुधवा टाईगर रिजर्व लखीमपुर खीरी।
- (6)- डी०जी०एम नेटवर्क टेलीसोनिक नेटवर्क टी०सी०जी०-७/७, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
 (आर०पी०सिंह)  
 अनुसचिव।